रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
21/12/99
INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 1999/कार्तिक 4, 1921
No. 521] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1999/KARTIKA 4, 1921

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1999

सा.का.नि. 719 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ग), (ङ), (च) और (छ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 के नियम 41 का लोप किया जाएगा।

[सं. 89/टीसी/(आरसीटी)/1-3]

पद्माक्षी रहेजा, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत

पाद टिप्पणी.—मूल नियम भारत के राजपत्र के दि. 19-9-89 के सा.का.नि. 842(अ), के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात दि. 26-11-91 के सा.का.नि. 700(अ), दि. 21-4-92 के सा.का.नि. 438(अ), दि. 15-6-94 के सा.का.नि. 509(अ), दि. 4-7-96 के सा.का.नि. 270(अ) तथा दि. 4-2-97 के सा.का.नि. 59(अ) द्वारा इनमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1999

G.S.R. 719(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989 namely :—

1. (i) These Rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1999.

 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Rule 41 of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989 shall be omitted.

[No. 89/TC(RCT)/1-3]

PADMAKSHI RAHEJA, Executive Director, Public Grievances

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide GSR 842(E) dated 19-9-1989 and subsequently amended by GSR 700(E) dated 26-11-1991, GSR 438(E) dated 21-4-1992, GSR 509(E) dated 15-6-1994, GSR 270(E) dated 4-7-1996 and GSR 59(E) dated 4-2-1997.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.